संदर्भ संख्या- ईसीजीसी/114-ए/ प्रशासन दिनांक: 04.03.2017

विषय: **मासिक भुगतान के आधार पर कार किराए पर लेना**

महोदय,

हम कार्यालयीन कार्य हेतु , मासिक भुगतान के आधार पर होंडा सिटी, मारुति शियाज़, मारुति स्विफ्ट डिजायर के पैट्रोल/ डीज़ल वर्जन को किराए पर लेने के इच्छुक हैं । इस समझौते के नियम एवं शर्तें अनुलग्नक-I में वर्णित हैं। कृपया अपने प्रतिस्पर्धी किराए अनुलग्नक -I में वर्णित प्रारूप में हमें भेजें ।
आपकी कोटेशन सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरित को भेजी जानी चाहिए तथा नियम एवं शर्तों के साथ-साथ कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए । कोटेशन कम से कम 21 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए तथा यह दिनांक 14-03-2017 को शाम 5:30 बजे से पहले इस कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए ।

भवदीय
सहायक महाप्रबंधक- प्रशासन
ईसीजीसी लिमिटेड,
निर्मल, 5वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021
ई-मेल: administration@ecgc.in
फोन: 022-66590756/759

<u>अनुलग्नक -I</u>

<u>मासिक भुगतान के आधार पर कार किराए पर लेने के नियम एवं शर्तें</u>

निविदा सं. ईसीजीसी / 2016-17 / 114 ए

1. आवश्यक वाहनों की कुल संख्या -50(लगभग) (क) होंडा सिटी, (ख)मारुति शियाज़ और (ग) मारुति स्विफ्ट डिजायर । हमें कुल 25 चालक(ड्राइवर) सहित कारों और 25 बिना चालक के कारों की आवश्यकता है (लगभग)। मुख्य रूप से कार का उपयोग हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवास से मुंबई में विभिन्न स्थानों पर स्थित ईसीजीसी के कार्यालयों तक जाने के लिए किया जाएगा । यदि आवश्यकता होती है तो इनका उपयोग भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए किया जा सकता है ।
2. कृपया अपनी कोटेशन निम्नलिखित विकल्पों के लिए दें :
   - (i) वाहन को कार्यालय/आवास की आगंतुक(विजिटर) पार्किंग में रखा जाएगा और निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा छुट्टी के दिनों में भी वाहन का उपयोग किया जा सकता है अर्थात वाहन और ड्राइवर हमारी अधिकारिता में होंगे ।
   - (ii) कार्य दिवसों के दौरान वाहन को आवास से पिक-अप और ड्रॉप के लिए उपयोग में लाया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार छुट्टी के दौरान भी इसका उपयोग/बुलाया जा सकता है(कार वेंडर की अधिकारिता में होगी)
3. नियुक्त वाहन का यात्री सहित विस्तृत बीमा कवर होना चाहिए और ईसीजीसी ड्राइवर/ वाहन अथवा थर्ड पार्टी को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।
4. कार/ वाहन 2 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । संविदा की अवधि 3 वर्ष होगी और प्रत्येक वर्ष सेवा संतुष्टि के आधार पर संविदा का आगे बढ़ाया जाएगा ।
5. वाहन के साथ नियुक्त ड्राइवर मृदु-भाषी, अच्छे आचरण वाला, और यूनीफार्म में होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम पिछले 3 साल से वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए । साथ ही उसे सभी रास्तों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा अंगेजी/हिन्दी/ स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए । ड्राइवर का कार्य 10 घंटे का होगा।

6. ड्राइवर द्वारा किए गए किसी दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का दंड आरोपित करने के समस्त अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित हैं जिसकी कटौती आपके बिल से की जाएगी ।
7. वाहन के ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी आपकी होगी और ऐसा न होने की स्थिति में ईसीजीसी वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करेगा जिसके व्यय की कटौती आपके अगले बिल से की जाएगी ।
8. संविदा अवधि के दौरान यदि किसी कारण से वाहन को पुलिस/ यातायात प्राधिकरण द्वारा सीज़/ डिटेन/ ज़ब्त किया जाता है तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
9. सभी शुल्क/ कर/ फीस/ लेवी/ सेस/ परमिट शुल्क/ जुर्माना /अर्थदण्ड जो भी व्यापार अथवा अन्यथा संबन्धित होंगे वह आप पर भारित होंगे। पार्किंग और टोल शुल्क के अतिरिक्त ईसीजीसी किसी भी अन्य व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. कोई भी व्यक्ति जो सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त होगा वो पूर्ण रूप से आपका कर्मचारी होगा और उसका ईसीजीसी पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा ।
11. समान्यतः आपके बिल जमा करने के 7 दिनों के भीतर, मासिक आधार पर, आपको भुगतान किया जाएगा ।
12. बिना कोई कारण बताए 15 दिनों का नोटिस देकर इस संविदा को रद्द करने के समस्त अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित हैं । हालांकि, ड्राइवर द्वारा बुरा आचरण करने पर अथवा आदेश न मानने की स्थिति में संविदा को तत्काल रद्द किया जा सकता है।
13. किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि आपकी तरफ से सेवाएँ रद्द करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए आपको 1 माह का नोटिस देना होगा क्योकि ट्रांसपोर्टर/ सेवा प्रदाता को बदलने के लिए कुछ तकनीकी औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं।
14. सभी प्रचलित/उपयुक्त नियम जैसे टीडीएस आदि की कटौती भुगतान में से की जाएगी और टीडीएस प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर जारी किया जाएगा ।
15. संविदा से संबन्धित किसी मुद्दे पर किसी मतभेद अथवा विवाद की स्थिति में प्रधान कार्यालय- प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
16. ईसीजीसी के साथ कार्यरत ड्राइवर के प्रति किसी भी भुगतान यथा वेतन,भविष्य निधि,ईएसआईसी आदि की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होगी ।

17.संविदा की अवधि 3 वर्ष होगी । हालांकि, एक साल के अंत में सेवा के आधार पर इसका पुनरावलोकन किया जाएगा और सेवाओं से संतुष्ट न होने की स्थिति में इसे रद्द किया जा सकेगा।

18.आपको कार्यालय से मासिक आधार पर संबद्ध वाहन के समय और माइलेज के संदर्भ में, उपभोगकर्ता ईसीजीसी कार्यालय से हस्ताक्षरित और सत्यापित लॉगबुक उपलब्ध करनी होगी ।

19.कार का माइलेज और समय कार्यालय/आवास से शुरू व खत्म होगा।

सेवाप्रदाता का हस्ताक्षर
नाम,पते और मोहर सहित

क्रं.सं.	मद	मूल्य/दर
1.	ड्राइवर सहित मासिक किराया(कृपया उपरोक्त 2(i) के अनुसार कोट करें)-(क) होंडा सिटी (ख)मारुति शियाज़ (ग)मारुति स्विफ्ट डिजायर (साप्ताहिक अवकाश- 1 दिन)	
2.	ड्राइवर सहित मासिक किराया(कृपया उपरोक्त 2(ii) के अनुसार कोट करें)-(क) होंडा सिटी (ख)मारुति शियाज़ (ग)मारुति स्विफ्ट डिजायर (साप्ताहिक अवकाश- 1 दिन)	
3.	बिना ड्राइवर के मासिक किराया (क) होंडा सिटी (ख)मारुति शियाज़ (ग)मारुति स्विफ्ट डिजायर	
4.	10 घंटे से अधिक समय होने पर प्रति घंटे किराया,यदि कोई हो	
5.	आउट स्टेशन जाने की स्थिति में रात्रि शुल्क के साथ ड्राइवर का भत्ता, यदि कोई हो	
6.	आउट स्टेशन जाने/देर रात होने की स्थिति में ड्राइवर का भोजन भत्ता, यदि कोई हो	
7.	छुट्टी के दिन ड्राइवर का शुल्क ,यदि कोई हो	

सेवाप्रदाता का हस्ताक्षर
नाम,पते और मोहर सहित